छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 507/2006</u>

1. **श्री बालाराम आर्मो,** - *अपीलार्थी*
ग्राम पंचायत, परसदा, पोस्ट सिल्ली,
जिला- कोरबा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* - *प्रति अपीलार्थी*
सरपंच, ग्राम पंचायत,
परसदा, पोस्ट सिल्ली,
जिला- कोरबा (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 28 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री बालाराम आर्मो द्वारा दिनांक 01.05.2006 को जन सूचना अधिकारी, सरपंच, ग्राम पंचायत, परसदा के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, उन्हें जानकारी समयावधि में नही मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.06.2006 को प्रथम अपील प्रस्तुत की, किन्तु वहाँ से भी कोई कार्यवाही नही होने के कारण असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 10.11.2006 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अंतिम सुनवाई के समय दोनों ही पक्ष उपस्थित नही हुये थे, अतः एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये । प्रकरण में दिनांक 05.01.2007 को 15 दिवस में समस्त जानकारी एवं क्षतिपूर्ति की राशि 250/- रूपये देने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उक्त निर्देशों का पालन नही होने के कारण बाद में जन सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि 15000/- रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । प्रकरण में पूर्व सरपंच द्वारा चार्ज नही दिये जाने के कारण और रिकार्ड उपलब्ध नही होने के कारण जानकारी नही दी जा सकी, इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से भी प्रतिवेदन बुलाया गया था, जिन्होंने केवल पूर्व सरपंच श्री लखेश्वर सिंह जगत का एक पत्र संलग्न करके भेज दिया है, जिसमें उनके द्वारा सरपंच पद से हटने के विरूद्ध मा0

उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किया है और प्रकरण समाप्त होने के बाद वे पूरा रिकार्ड नये सरपंच के चार्ज में सौप देंगे, किन्तु यह कोई संतोषप्रद कारण प्रतीत नही होता, यदि मा0 उच्च न्यायालय से कोई स्थगन नही है तो उन्हें समस्त रिकार्ड को अगले सरपंच को सौंप देना चाहिए था । अतः इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही संभव हो, वे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें और पूराना रिकार्ड पूर्व सरपंच से नये सरपंच को दिलाये, ताकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी सरपंच द्वारा दी जा सके । प्रकरण में क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 250/- रूपये को बाद में दिनांक 16.04.2007 को बढ़ाकर राशि 500/- रूपये किया गया था और वह राशि दिनांक 03.10.2007 को प्रदाय भी की जा चुकी है तथा बाद में स्थानापन्न सरपंच द्वारा अन्य कई सरपंच द्वारा यह पत्र भी प्रस्तुत किया था कि वर्तमान अपीलार्थी पहले सरपंच रहे चुके है और बदले की भावना और ग्राम पंचायतों के सभी कार्यो में रोक लगाने की दृष्टि से सूचना का अधिकार दुरूपयोग कर रहे हैं, इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मण्डल संयोजक से जांच कराके इसकी भी पुष्टि की है । अतः इसे देखते हुए और कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर को देखते हुए इस प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नही होती है, अतः जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । प्रकरण में अब अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती है ।

3/ अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त